

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

F.No. :- 9-HRB016/2015-CHA
सेवा में,

बैज्ज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ऐ
चंडीगढ़-160030
दिनांक: 08.07.2015

प्रधान सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चंडीगढ़-160001

विषय:- **Diversion of 0.0142 ha. of forest land for access to retail outlet of Essar Oil Ltd along Kanina-Dadri road, km. 64, L/side, at Village Dhanauda, under Forest Division and District Mahendergarh, Haryana.**

संदर्भ:- 1 प्रधान सचिव वन पत्र क्रमांक 01-va-5-2015/3961 दिनांक 24.03.15
2 नोडल ऑफिसर एवं वन सख्तक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-टीन 12432 दिनांक 29.06.15

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाक्ति पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0142हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार पैटोल पम्प के प्रवेश एवं निकास के लिए 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिया गया है।
- iii. प्रस्ताव के अनुसार 02 वृक्ष और 03 पौधे बाधक हैं जो कटवायें जायेगे।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Kanina-Dadri road Km. 64 L/s**, पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 19,709 रुप्ये (**Rupees Nineteen Thousand Seven Hundred Nine only**) की राशि से 028 पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
- vi. प्रवेश एवं निकास को छोड़कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड़ पौधे लगाये जाने चाहिये तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिये और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिये।
- vii. यह अनुमति 15 वर्षों के लिए अर्थात् 07 जुलाई, 2030 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
- viii. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।
- ix. पेटोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
- x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

- xi. Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी वाध्य होगी।
- xii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xviii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xix. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएंगी।
- xx. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xxi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xxii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी।
- xxiii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(डा. हर्ष मित्र) 9.7.15

अति.प्र.मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Ministry of Environment, Forest & Climate Change Indira Paryavaran Bhavan Jor Bagh Road Aliganj, New Delhi-110 003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैकटर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Mahendergarh, Haryana.
4. The Divisional Manager, Essar Oil Ltd.